



बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014
संख्या-FC-205

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा० व० से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा।

- ✓ 2. कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, बेनीपुर (दरभंगा)

पटना, दिनांक- 08/03/2018

विषय - दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल-सिंधिया भाया पिपरा पथ में सिंधिया-हिरणी 10.00-13.10 कि०मी० पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 4.8856 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/26896/2017/2010 दिनांक 01.03.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 4.8856 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है-

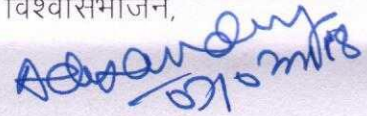
1. परियोजना निर्माण के क्रम में 4.8856 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 30,58,386/- (रुपये तीस लाख अनठावन हजार तीन सौ छियासी) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण एवं विभाग को उपलब्ध कराएगी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या-4 के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 32,39,756/- (रुपये बत्तीस लाख उनचालीस हजार सात सौ छप्पन) मात्र का प्राक्कलन इस पत्र के साथ संलग्न है।
3. उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रु० 62,98,142/- (रुपये बासठ लाख अनठावने हजार एक सौ बियालीस) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट forestclearance.nic.in से e-challan generate कर online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कराया जाय।

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 16 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।